No. 20011/5/90-Estt(D)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
(Department of Personnel & Training)

.....

New Delhi, the 4 November, 1992.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Delinking seniority from confirmation.

...

The seniority of Government servants is determined in accordance with the general principles of seniority contained in MHA OM No. 9/11/55-RPS dated 22.12.59 (copy enclosed). One of the basic principles enunciated in the said OM is that seniority follows confirmation and consequently permanent officers in each grade shall rank senior to those who are officiating in that grade.

2. This principle has been coming under judicial scrutiny in a number of cases in the past, the last important judgement being the one delivered by the Supreme Court on 2.5.90(JT-1990(2)SC-264) in the case of Class II Direct Recruits Engineering Officers Association vs. State of Maharashtra. In para 47(A) of the said judgement the Supreme Court has held that once an incumbent is appointed to a post according to rule, his seniority has to be counted from the date of his appointment and not according to the date of his confirmation.

3. The general principle of seniority mentioned above has been examined in the light of the judicial pronouncement referred to above and it has been decided that seniority may be delinked from confirmation as per the directive of the Supreme Court in para 47(A) of its judgement dated 2.5.90. Accordingly in modification of the general principle 3, proviso to general principle 4 and proviso to general principle 5(i) contained in MHA (now DOPT) O.M.No.9/11/55-RPS dated 22.12.59 and para 2.3. of this Department O.M. dt.3.7.86 (copy enclosed) it has been decided that seniority of a person regularly appointed to a post according to rule would be determined by the order of merit indicated at the time of initial appointment and not according to the date of his confirmation.

4. These orders shall take effect from the date of issue of this Office Memorandum. Seniority already determined according to the existing principles on the date of issue of these orders will not be reopened even if in some cases seniority has already been challenged or is in dispute and it will continue to be determined on the basis of the principles already existing prior to the date of issue of these orders.

5. All Ministries/ Departments are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for guidance and compliance.

.....

(Y.G. PARANDE)
DIRECTOR

To

All Ministries/ Departments etc.

Copy to:-

1. Comptroller and Auditor General of India.
2. Rajya Sabha Sectt./Lok Sabha Sectt.
3. UPSC (with 10 spare copies),
4. All Union Territory Administrations.
5. All attached/subordinate offices under the DOP&T.
6. Commissioner for SC/ST, New Delhi.
7. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 9 Ashoka Road, New Delhi .
8. All Sections.
9. 200 spare copies for Estt.(D).

संख्या 20011/5/90-स्था0 (घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4-11-92

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वरिष्ठता को स्थायीकरण से पृथक किया जाना ।

सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण गृह मंत्रालय के दिनांक 22.12.1959 (प्रति संलग्न) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर0पी0एस0 में दिए गए वरिष्ठता संबंधी सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । उक्त कार्यालय ज्ञापन में प्रतिपादित वरिष्ठता का एक मूल सिद्धान्त यह है कि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण होने के पश्चात् उसे वरिष्ठता दी जाती है और परिणामस्वरूप प्रत्येक ग्रेड में स्थायी किए गए अधिकारी को उन व्यक्तियों से वरिष्ठ रैंक में रखा जाएगा, जो उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे है ।

2. विगत में इस सिद्धान्त की कुछ मामलों में न्यायिक जांच की गई है, अन्तिम महत्वपूर्ण निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 2.5.90 (जे0टी0 1990 (2) एस0सी0-264) को श्रेणी-।। सीधी भर्ती के इंजीनियरिंग अधिकारी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में दिया था । उपर्युक्त निर्णय के पैरा 47 (क) में उच्चतम न्यायालय ने यह स्थापित किया कि जब कोई पदधारी किसी पद पर नियमानुसार नियुक्त किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता उसके स्थायीकरण की तारीख से नहीं बल्कि उसकी नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी चाहिए ।

3. उपर्युक्त वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्त की उपर्युक्त न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 2.5.90 के निर्णय के पैरा 47 (क) में दिए गए निर्देश के अनुसार वरिष्ठता को स्थायीकरण से पृथक कर दिया जाए । तदनुसार, गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 22.12.1959 तथा इस विभाग के दिनांक 3.7.1986 के कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) के पैरा 2.3 में दिए गए सामान्य सिद्धान्त 3, सामान्य सिद्धान्त 4 तथा सामान्य सिद्धान्त 5 (1) के परन्तुकों के संशोधन में यह निर्णय किया गया है कि किसी पद पर नियमानुसार नियमित रूप से नियुक्त एक व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दर्शाए गए गुणता क्रम द्वारा निर्धारित किया जाएगा न कि उसके स्थायीकरण की तारीख के अनुसार ।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे । इन आदेशों के जारी होने की तारीख को विद्यमान सिद्धांतों के अनुसार पहले से ही निर्धारित वरिष्ठता के मामलों पर पुन: विचार नहीं किया जाएगा यहां तक कि यदि कुछ मामलों में वरिष्ठता के संबंध में पहले ही चुनौती दी गई है अथवा इन पर विवाद चल रहा है, तो इनका निर्धारण भी इन आदेशों के जारी होने से पूर्व पहले से ही विद्यमान सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाएगा ।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों को दिशा-निर्देश तथा अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

[यo गोo पराडे]
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।